न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मारवाड़ जंक्शन

बइलजास शैलेन्द्र सिंह आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 165/2018

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोन्डेट
1. विक्रमसिंह पुत्र देवी सिंह		1. सरपंच ग्राम पंचायत बांता 2. रूपसिंह पुत्र देवीसिंह 3. सरकार जरीये तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन

निर्णय अन्तर्गत धारा– 75 राज. लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 बसिलसिले नामान्तरकरण सं. 426 दिनांक 06.01.1983

वकील अपीलाण्ट :– श्री सुरेन्द्र शर्मा तथा वकील रेस्पो0 सं. 2 आशुतोष दवे उपस्थित।

निर्णय दिनांकः– 18/11/19

अपीलाण्ट ने अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. लै.रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत इस आशय पर पेश की है कि सरहद मौजा ग्राम बांता के नया खाता संख्या 330 खसरा नम्बर 853, 854, 855, 903, 904, 905, 907, 910, 911, 912, 913, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 924, 941, 942, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116 तथा 1117 कुल खसरा 28 कुल रकबा 45.5147 हैक्टर कृषि भूमि आई हुई है। जिसमें अपीलाण्ट का 1/6 हिस्सा खातेदारी कब्जा काश्त सुदा स्थित है। उक्त भूमि अपीलाण्ट के पिता के नाम खातेदारी की दर्ज थी। अपीलाण्ट के पिता की मृत्यु के पश्चात फौतदगी म्यूटेशन भरते समय अपीलाण्ट का नाम विक्रमसिंह की जगह भंवरसिंह दर्ज कर दिया गया। जबकि अपीलाण्ट के पिता के दो जायदां पुत्र विक्रमसिंह एवं रूपसिंह है तथा भंवरसिंह नाम का कोई पुत्र नहीं है। अपीलाण्ट द्वारा अपील के संलग्न दस्तावेजात भी प्रस्तुत किये है जिनमें अपीलाण्ट का नाम विक्रमसिंह है न कि भंवरसिंह। राजस्व अधिकारी/कर्मचारीयों ने बिना किसी विधिक जांच किये एवं बिना अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर दिये एवं बिना साक्ष्य का अवसर दिये अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 426 में अपीलाण्ट का नाम विक्रमसिंह की जगह भंवरसिंह दर्ज कर भारी कानुनी भूल की है एवं प्रथम दृष्टया खारीज किये जाने योग्य है। इसलिए उक्त नामान्तरकरण संख्या 426 को निरस्त करवाकर पुनः सुनवाई कर नामान्तरकरण की कार्यवाही हेतु यह अपील पेश है।

रेस्पों0 सं. **2 की तरफ से अधिवक्ता श्री आशुतोष दवे द्वारा** उपस्थित होकर पुर्व में वकालतनामा पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। रेस्पों0 संख्या 1, 3 का जबाब आदिनांक तक पेश नही किया गया अतः इनका जबाब बन्द किया जाता है। रेस्पों0 संख्या 2 पूर्व में असालतन एवं वकालतन उपस्थित हुए परन्तु आदिनांक तक जबाब पेश नहीं किया गया। वकील रेस्पो0 संख्या 2 ने जबाब पेश नही कर सीधे बहस हेतु निवेदन किया तथा सहमति पत्र पेश किया गया। वकील अपीलाण्ट तथा रेस्पो0 संख्या 2 की बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने बहस में जाहिर किया कि अपीलांट के पिता देवीसिंह की मृत्यु के पश्चात फौतेदगी म्यूटेशन भरते समय राजस्व अधिकारीयों एवं सरपंच द्वारा बिना किसी भी प्रकार उतराधिकारीयों की जांच किये एवं बिना उतराधिकारीयों एवं पक्षकारान के बयान लिए अपीलाण्ट का नाम विक्रमसिंह के बजाय भंवरसिंह दर्ज किया गया। जबकि अपीलाण्ट के पिता के दो जायदां पुत्र विक्रमसिंह एवं रूपसिंह है तथा भंवरसिंह नाम का कोई पुत्र नहीं है। अपीलाण्ट द्वारा अपील के संलग्न दस्तावेजात भी प्रस्तुत किये है जिनमें अपीलाण्ट का नाम विक्रमसिंह है न कि भंवरसिंह, जो कि भारी विधिक भूल है। अतः नामान्तरकरण संख्या 426 काबिल खारीज है। जिस

उपखण्ड अधिकारी
मारवाड़ जंक्शन

पर वकील रेस्पो0 संख्या 2 ने अपनी सहमति जाहिर की तथा नामान्तरकरण को अपास्त किये जाने पर अपनी रजामंदी व्यक्त की। साथ ही अधिवक्ता ने जाहिर किया कि अपीलांट द्वारा दिनांक 12.06.18 को पटवारी हल्का से लोन हेतु जमाबंदी लेने जाने पर उक्त गलत म्यूटेशन के बारे में पता चला एवं दिनांक 12.06.18 को पटवारी हल्का से म्यूटेशन की नकल प्राप्त करने पर उक्त म्यूटेशन का इल्म हुआ। उक्त इल्म से अपील अन्दर म्याद प्रस्तुत की गई है। अपीलांट को इससे पूर्व नामान्तरकरण बाबत कोई इल्म नहीं था। अतः अपील के साथ धारा 5 म्याद अधिनियम अलग से प्रस्तुत किया गया है। वकील अपीलांट की बहस पर गौर करते हुए समय कण्डोन किया जाकर अपील अन्दर म्याद शुमार की जावे।

हमने राजस्व रेकर्ड का अवलोकन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। अपीलाण्ट के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। हमने अपीलाण्ट द्वारा पेश किये गये धारा–5 म्याद अधिनियम का प्रा0 पत्र मय शपथ पत्र का अवलोकन किया। अपीलाण्ट के वकील की बहस पर मनन किया गया।

सर्वप्रथम अपील के साथ प्रस्तुत प्रा0पत्र धारा 5 म्याद अधिनियम को निर्णित करना आवश्यक है। चुंकि म्याद के तकनिकी बिन्दु पर किसी पक्षकार की हक हिस्से की मांग को खारिज कर देना न्यायोचित नहीं है, तथा विवादित नामान्तरकरण संख्या 426 की अपीलाण्ट को नकल जो कि पत्रावली के साथ संलग्न है, दिनांक 12.06.18 को प्रदान की हुई एवं अपीलाण्ट के कथनानुसार राजस्व रेकर्ड की इन नकलों को प्राप्त करने पर ही उसको अपना नाम विक्रमसिंह के बजाय भंवरसिंह दर्ज होना पाया जाना बताया गया है। उक्त आधारों पर प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रा0पत्र धारा 5 म्याद अधिनियम स्वीकार किया जाता है।

विचाराधीन अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 पर विचार किया जावे तो जैसा कि वकील अपीलाण्ट द्वारा अपनी बहस में जाहिर किया गया है कि वक्त फौतदगी म्यूटेशन भरते समय राजस्व अधिकारी/कर्मचारीयों द्वारा बिना किसी विधिक जांच किये बिना अपीलाण्ट को सुनावाई का अवसर दिये एवं बिना साक्ष्य लिये बाले–2 अपीलाण्ट का नाम विक्रमसिंह के बजाय भवंरसिंह भर दिया गया है जबकि अपीलाण्ट के पिता का भंवरसिंह नाम का कोई पुत्र नहीं है। जिस बात की तस्दीक अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 2 ने भी की है तथा नामान्तरकरण को पुनः नियमानुसार भरे जाने पर अपनी सहमति जाहिर की है। अपीलाण्ट द्वारा शपथ पत्र संलग्न कर अपील में निवेदन किया गया है कि देवीसिंह पुत्र रामसिह के पुत्र के रूप में जिस भंवरसिंह का नाम दर्ज हुआ है वह कोई और नहीं बल्कि स्वंय अपीलाण्ट विक्रमसिंह ही है एवं नामान्तरकरण में भंवरसिंह नाम गलती से दर्ज हो गया। साथ ही अपील के संलग्न दस्तावेजों से परिचय दस्तावेजों से भी प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि अपीलाण्ट का नाम विक्रमसिंह है न कि भंवरसिंह। इसलिए उक्त अपील अपीलाण्ट स्वीकार योग्य होने से आंशिक स्वीकार की जाती है।

–::आदेश::–

अतः अपीलाण्ट की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण सं. 426 दिनांक 06.01.1983 सरहद मौजा ग्राम बांता पटवार क्षेत्र बांता को अपास्त किया जाकर तहसीलदार मारवाड जंक्शन को इस निर्देश के साथ प्रति–प्रेषित किया जाता है, कि सभी पक्षकारान को समुचित सुनवाई का अवसर देते हुए तथा इस बात की तस्दीक करते हुए कि मृतक देवीसिंह पुत्र रामसिंह का भंवरसिंह पुत्र देवीसिंह के नाम का कोई जायदां पुत्र है अथवा नहीं साथ ही इस बात की भी तस्दीक की जावें कि देवीसिंह के विक्रमसिंह तथा भवंर सिंह के नाम के दो अलग–2 पुत्र है अथवा दोनो एक

उपखण्ड अधिकारी
मारवाड़ जंक्शन

ही व्यक्ति के नाम है। सभी पक्षकारान की उपस्थिति में पुनः नियमानुसार नामान्तरकरण की कार्यवाही करें। निर्णय की प्रति तहसीलदार मारवाड जंक्शन को पालनार्थ प्रेषित की जावें। मिसल फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 18-11-19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास में सुनाया गया।

(शैलेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
मारवाड़ जंक्शन

Signature Not Verified
Digitally signed by Shailendra Singh
Date: 2020.02.06 15:57:31 IST
Reason: SelfAttested
Location: